बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

15/12/2025

सं0:– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2025 7763. पटना, दिनांक :–

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 44 दिनांक 10.02.2025 द्वारा श्री करूणेन्द्र नारायण सिंह, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01854) के विरूद्ध दिनांक 02.04.2024 से लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 876 दिनांक 25.02.2025 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 01.04.2024 की रात्रि में इनके सीने में अचानक दर्द उठा एवं ये बेहोश हो गये। साथ ही अंकित किया गया है कि ह्रदय रोग से पीड़ित होने के कारण एवं शिविर जिला में आपातकालीन चिकित्सीय व्यवस्था नहीं रहने के कारण ये अनुपस्थित रहे हैं एवं अपना ईलाज मेदान्ता, पटना में चला है, जिसकी नियममित सूचना पत्र के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को देते रहे हैं। साथ–ही–साथ चिकित्सीय लाभ के पश्चात् पुनः योगदान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय अंतिम स्मार पत्रांक 3607 दिनांक 16.06.2025 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर से मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 481 दिनांक 21.10.2025 द्वारा अपना मंतव्य प्रेषित किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि श्री सिंह दिनांक 29.08.2020 से दिनांक 01.04.2024 तक कार्यरत रहें। इस अवधि में इनका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है, जिसके लिए इनसे कई बार स्पष्टीकरण किया गया है एवं वेतन कटौती भी की गयी है। साथ ही ये दिनांक 02.04.2024 से अनाधिकृत अनुपस्थित हैं एवं इनके द्वारा अस्वस्थ हाने अथवा अन्य किसी प्रकार की सूचना कार्यालय को नहीं दी गयी है। फलस्वरूप संविदा समाप्ति की पुनः अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप / मंतव्य एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। श्री सिंह का कथन है कि ये अस्वस्थ थे, जिसकी नियमित सूचना इनके द्वारा कार्यालय को दी गयी है, परन्तु इस संबंध में इनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण के साथ संलग्न चिकित्सीय साक्ष्य में भी स्पष्ट नहीं है कि ये इतनी लम्बी अवधि तक कहीं Admit रहें है या इन्हें डाक्टर द्वारा बेड रेस्ट की सलाह दी गयी है। साथ ही साथ कार्यालय को स्थिति से नियमित अवगत कराने संबंधी इनके द्वारा भ्रामक कथन भी दिया गया है, जो बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिये मंतव्य में स्पष्ट किया गया है एवं इनका पूर्व का कार्य भी संतोषप्रद नहीं है। उपरोक्त कृत्य इनके मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, इसके बावजूद मनमाने तरीके से इतनी लम्बी तक अनुपस्थित रहना लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। यदि इन्हें संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इसका प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम–8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री करूणेन्द्र नारायण सिंह, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01854) का संविदा नियोजन अनुपस्थित रहने की अवधि दिनांक 02.04.2024 से समाप्त किया जाता है।

9/12

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2025 7963 **पटना, दिनांक** :– 15/12/2025

प्रतिलिपि :– श्री करूणेन्द्र नारायण सिंह, विशेष सर्वेक्षण लिपिक (SCL01854), बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

9/12

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2025 7963 **पटना, दिनांक** :– 15/12/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)संविदा आ0(तिरहुत प्रमंडल)–04 / 2025 7963 **पटना, दिनांक** :– 15/12/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्राम, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9/12

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप